राज्य का विशेष दर्जा को खत्म करने वाले 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक-2019' को वापस लेने की मांग को लेकर एवं कश्मीरी लोगों का आत्मनिर्णय अधिकार का समर्थन करते हुए व्यापक जनांदोलन चलाएं!

ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य को सरकारी किराये बलों से नाकेबंदी कर, उसे विशेष दर्जा देने वाले धारा 370 एवं धारा 35ए का समाप्त करते हुए 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक-2019' को निरंकुश तरीके से विपक्षियों के आवाजें कुचल कर 5 एवं 6 अगस्त को संसद में पारित कर दिया है। इसे तुरंत अनुमोदन करते हुए देश के राष्ट्रपति ने गजट पत्र जारी किया है। इस कानून के तहत कश्मीरी लोग अपने न्यूनतम अधिकार खो दिये हैं। इसके अनुसार राज्य को दो केंद्र शाषित इलाकों - जम्मू-कश्मीर को विधानसभा होने वाले एवं लद्दाख को गैर-विधानसभा वाले केंद्र शाषित इलाकों के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

'आजाद कश्मीर' को हासिल करने के लक्ष्य से, अलग होने के अधिकार सहित आत्मनिर्णय अधिकार के जनवादी आकांक्षाओं के साथ 70 वर्षों से लड़ने वाले कश्मीरी लोगों का संघर्ष को क्रूरता से लोहे के पैरों से रौंदने के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ हिंदू फासीवादी मोदी-अमित शाह-मोहन भागवत के गुट ने लोकसभा में जबरन अपनी बहुमत को इस्तेमाल कर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर देश का संविधान की घोर हत्या की है। यह कश्मीर पर और एक बार आक्रमण करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसे हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने खड़े शब्दों में निंदा करती है।

मोदी सरकार ने इस कदम को ये कह कर निर्लज्जता से समर्थन किया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू-कश्मीर पर ही नहीं बल्कि पाक-प्रशासित कश्मीर पर भी भारत का अधिकार है, भारत सरकार के पास कश्मीर पर कानून बनाने का अधिकार है, वह इसमें 'सक्षम' है। दरअसल कश्मीर 1948 से पहले भारत का हिस्सा नहीं है, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। मोदी सरकार विगत की सरकारों की ही तरह इस तथ्य को छिपाने विफल प्रयास कर रही है। इसके लिए उसने कश्मीर समस्या पर संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थाता में एवं भारत व पाकिस्तान की सहमति से संयुक्त राष्ट्र द्वारा किये गये प्रस्तावों - भारत, पाक एवं चीन की सीमाओं पर तथा कश्मीर के अंदर यथास्थिति बनाये रखने, नियंत्रण रेखा (एलओसी) का उल्लंघन नहीं करने, जनमत संग्रह कर कश्मीर के मसले पर निर्णय लेने - को भी कूड़ेदान में डाल दिया है। कश्मीरी मसला का समाधान भारत एवं पाक की द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही करने पर विगत में दोनों देश द्वारा किये गये सिमला समझौता एवं लाहौर घोषणापत्र का, आखिर भारतीय संविधान का संरक्षण करने की अपनी वादा का भी उल्लंघन किया है। कश्मीर के सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर सर्वदलीय बैठक कर जो चेतावनी दिये हैं कि 'अगर, मोदी सरकार ने गैरसंवैधानिक ढंग से धारा 370 व 35ए को खत्म किया तो उस कदम को कश्मीर पर आक्रमण के रूप में लिया जायेगा', उसे भी उसने नजरअंदाज किया एवं एकतरफा निरंकुश कानून बनाकर कश्मीर दुराक्रमण किया है।

मोदी सरकार ये कहते हुए जनता को ठगना चाहती है कि इन दोनों धाराएं जम्मू-कश्मीर का विकास के लिए रुकावट हैं, वहां के राजनेताओं का भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इन धाराओं को खत्म करने से इस इलाके का विकास के द्वार खुलेंगे, बाहर से कंपनियां यहां आकर जमीन खरीदेगी, निवेश लगाकर उद्योग स्थापित करने के अवसर मिलेंगे, इस इलाके में बड़े पैमाने पर औद्योगिककीरण होगी, बेरोजगारी की समस्या का हल होगा, इससे इस इलाका का राजस्व वसूली में वृद्धि आयेगी, नतीजतन कश्मीर घाटी में आतंकवाद का खात्मा होगा। लेकिन सरकार इस तथ्य को छिपा रही है कि गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में एवं अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों एवं महिलाओं पर अत्याचारों में भारत विश्व के रिकार्ड तोड़ रहा है। दरअसल इस बिल लाने से कश्मीरी लोगों से प्रकट होने वाले किसी भी तरह का विरोध/प्रतिरोध को कुचलने के लिए उसने कुछ दिन पहले ही युद्ध स्तर पर तैयारियां कर ली है। पहले से ही वहां रोजमर्रा के हिसाब से कश्मीरी युवकों पर एवं जनता पर आतंकवादी ठप्पा लगा कर हत्या कर रही थी। होरियत कांफरेंस के कई नेताओं को जेल में डाल दिया था। वहां तैनात 5 लाख के भारत के सरकारी सशस्त्र बलों से अतिरिक्त और 25 हजार की संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात कर ली है। राज्य के प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं सहित कइयों को नजरबंद कर दिया है और कई लोगों को जेलों में डाल दिया है। पाकिस्तान की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर सैन्य बलों की तैनाती कर युद्ध

का आमत्रित कर रहा है। बिल को संसद में लाते ही देशभर में झूठी राष्ट्रवाद को बहकाने एवं आतंकवादी कह कर मुस्लिमों पर हमला करने के लिए सभी राज्यों में रेड अलर्ट जारी की है। वास्तव में, नयी जियोनवादी नीतियों को अपनाने वाली मोदी सरकार कश्मीरी जमीन चाहता है न कि कश्मीरी लोगों का एवं उनकी आकांक्षाओं का। इसलिए इस कानून का असली उद्देश्य ये है कि राज्यों का नाममात्र अधिकारों का भी कुचल देना, भारत के शोषक वर्गों के विस्तारवादी हितों को पूरा करना, कश्मीर में मौजूद समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव श्रम को लुटवाने हेतु साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं देशीय दलाल पूंजीपति घरानों की मार्ग प्रशस्त करना एवं जम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों को विभाजित कर-शासित करना एवं कश्मीर को फिलिस्तीन के रूप में एवं उसमें कश्मीरी लोगों को अल्पसंख्यकों के रूप में तब्दील करना। इस तथ्य को छिपाकर कार्पोरेट मीडिया ने बड़े पैमाने पर इस गोबल्सीय प्रचार-प्रसार से शोर मचा रही है कि यह कानून पारित हो जाने के बाद देशभर में लोग खुषियां मना रहे हैं।

दरअसल ये खबरें आ रही हैं कि प्रशासन द्वारा लगायी गयी कर्फ्यू को भी तोड़कर, जर्मनी नाजी की तरह की भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ कश्मीरी लोग सड़कों पर आकर पत्थरों से सरकारी किराये सशस्त्र बलों के साथ लोहा ले रहे हैं। देश के विभिन्न इलाकों के लोग उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने धारा 370 का खात्मे की घोर निंदा की हैं। पाकिस्तान सरकार ने धारा का खात्मे पर तीव्र विरोध प्रकट किया है। लद्दाख के मामले पर चीन अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि लद्दाख पर निर्णय भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत व पाक को संयुक्त राष्ट्र ने सिर्फ ये मुफ्त सुझाव दे कर प्रेक्षक भूमिका अदा की कि शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता के जरिए कश्मीरी समस्या का हल निकालें।

कश्मीरी लोगों! भारत के उत्पीड़ित राष्ट्रीयओं, वर्गों एवं तबकों के लोगों तथा जनवादीप्रेमियों!

भारत के दलाली शासक वर्ग ने अपने साम्राज्यवादी आकाओं के लुटेरे हितों एवं अपनी अपनी विस्तारवादी आकांक्षाओं को पूरा करने के लक्ष्य से देश को अत्यंत केंद्रीकृत 'हिंदू फासीवादी राज्य' के रूप में तब्दील करने द्वारा 'देश की एकता' एवं 'देश की अखंडता' के नाम पर 'अखंड भारत' का निर्माण के लिए तीव्र प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार के 'नया भारत' (न्यू इंडिया) का सारतत्व यही है। देश में दलितों, महिलाओं, विभिन्न राष्ट्रीयताओं एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों ने अपने जनवादी अधिकारों के लिए एवं राज्यहिंसा के खिलाफ चलाने वाले आंदोलनों को एवं इन न्यायपूर्ण जनांदोलनों के लिए मिलने वाले अंतरराष्ट्रीय समर्थन को निर्दयता से कुचलने के लक्ष्य से हाल ही में मोदी सरकार ने देश में आतंकवाद का खत्म करने के नाम पर 'एनआइए संशोधन विधेयक-2019' एवं ' 'उपा' संशोधन कानून-2019' लायी है। केंद्रीय एवं राज्य के मानवाधिकार आयोगों को ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी तत्वों से भराने एवं देश के उत्पीड़ित वर्गों, तबकों एवं राष्ट्रीययताओं का नाममात्र मानवाधिकारों का भी कुचलने की साजिश रचाकर 'मानवाधिकार संरक्षण संशोधन कानून-2019' को, जनवादी एवं जनता ने लड़कर हासिल करने वाला 'सूचना अधिकार कानून-2005' का निष्क्रिय करते हुए 'सूचना अधिकार संशोधन कानून-2019' को, स्वास्थ्य क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हवाला करने वाले 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग कानून-2019' को एवं मजदूरों के अधिकारों का हनन करने वाले कानून जैसे कई निरंकुश कानून लाते हुए खुलेआम राज्य का फासिजीकरण करते हुए उसने देशभर में एक बड़ी फासीवादी हमले करने जमीन तैयार कर रही है। उसने कश्मीर पर आक्रामक रूप से हमला कर देश में अपनी हिंदू फासीवादी हमले का शुरूआत किया है। इस हमला आगामी समय में देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों, महिलाओं, दलितों एवं आदिवासियों पर, उत्तर-पूर्व के राष्ट्रीयताओं सहित देश के विभिन्न उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं, तमाम जनता के हितों के लिए लड़ने वाले सच्ची जनवादीप्रेमियों पर और तीव्र रूप लेगा। देश को विनाशकारी घटनाक्रम की तरफ ले जायेगा। इसलिए आज मोदी सरकार द्वारा कश्मीर पर किए गए हमला देश के विभिन्न राष्ट्रीयताओं, राज्यों, धार्मिक अल्पसंख्यको, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं पर ही हमला है। इसलिए कश्मीर के तमाम उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित तबकों के लोगों सहित राजनीतिक पार्टियों, जनवादी संगठनों एवं जनवादीप्रेमियों; इसी तरह समूचे देश के जनवादियों, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं, उत्पीड़ित वर्गों व तबकों के लोग, इस कानून का विरोध करने वाले राजनीतिक पार्टियों का हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी से आह्वान है कि निरंकुश एवं क्रर 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक-2019' का वापस लेने की मांग को लेकर जनता को गोलबंद करें एवं जुझारू जनांदोलन का निर्माण करें!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

स्पेशल जोनल कमेटी

दण्डकारण्य

7 अगस्त, 2019